ISSN: 2278-4632
Vol-10 Issue-7 No. 15 July 2020

स्वतंत्रता के बाद भारत की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी

नीलिमा सिंह
असिस्टेन्ट प्रोफेसर
राजनीति विज्ञान
राजकीय महाविद्यालय
सहजनवाँ गोरखपुर

सारांश :– भारत की राजनीति में आजादी के इतने वर्षो बाद भी महिलाओ की भागीदारी बहुत कम है। वर्तमान में राजनीति में महिलाओ की कमजोर स्थिती लोकतंत्र में प्रतिकूल है। लोकतंत्र जहाँ नीति निर्माण में समान सहभागिता पर जोर देता है, वही नीति निर्माण में महिलाओ की भागीदारी न के बराबर है। भारत के राजनीति में महिलाओ की कम भागीदारी के पिछे अबतक समाज में पितृसत्तात्मक ढाचे का मौजूद होना है। हालाकि भारत उन देशो में है जिसने दशको पहले ही अपनी बागडोर इंन्दिरा गांधी के हाथो में सौप दी थी। सोनिया गाधी, ममता बनर्जी, मायावती जौसी नेता भारतीय सत्ताराजनीति का एक चमकता सितारा है। फिर भी सवाल यह है कि इस चमक का दायरा कितना ब्यापक, कितना सघन व स्थायी है। पार्टियो में महिलाओ का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नही है। तथा पार्टी में जो भी महिला कार्यकर्ती है, उससे सिर्फ महिला संबन्धी विषयो पर कार्य कराये जाते है। जब देश की नीतियो व महत्वपुर्ण फैसले लेने की बात आती है तो महिलाओ की भूमिका ना के बराबर होती है। ऐसे में आवश्यकता है कि आजादी के बाद महिलाओ की राजनीति में क्या भूमिका रही, तथा महिलाओ की राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए क्या प्रयास किये गए, आरंक्षण विल क्यो पास नही हुआ। इन सभी बातो का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाये शोध पत्र इन्ही विषयो पर प्रकाश डालते हेतु लिखा गया है।

आधुनिक भारतीय राजनीति में कई ऐसी महिलायें रही है जिनकी ऐतिहासिक भूमिका से हम भलिभाँति परिचित है। स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान से लेकर आजाद भारत की सरकार चलाने तक में महिलाओ की राजनीतिक भूमिका अह्म रही है, बावजूद इसके जब राजनीति में महिलाओ की भागीदारी की बात आती है। तो आकड़े बेहद निराशाजनक तस्वीर पेश करते है। प्रत्यक्ष एक्टिव पालिटिक्स में महिलाओं की भागीदारी और अप्रत्यक्ष वोटर्स के रूप में भागीदारी दोनो ही स्तर पर ही भारी गैर बराबरी से हमारा मुठभेड़ होता है हालाकि महिला वोटर्स की बात करें तो स्थिति थोड़ी सी पहले से बेहतर है। 1980 से 2014 के बीच महिला वोटर्स की सेख्या में 15 प्रतिशत इजाफा हुआ है। 1

स्वतंत्रता के बाद के वर्षो में महिलाओ की राजनीतिक सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए प्रयत्न प्ररंम्भ हो गये। अब महिलाओ के मौलिक अधिकारो में समानता के अधिकार की घोषणा से स्त्री पुरूष समानता का प्रश्न देश के सामने आने लगा। तब यह विचार किया जाने लगा की पुरूषो के समक्ष राजनीतिक अधिकार समान रूप से दिये जाने चाहिए। 2

Copyright @ 2020 Authors

ISSN: 2278-4632
Vol-10 Issue-7 No. 15 July 2020

1952 से 2014 तक लोकसभा में महिलाओं की स्थिति–

LOK SABHA	TOTAL N0 OF SEATS	WOMEN MEMBERS WHO WON	% OF TOTAL
First (1952)	489	22	4.4
Second (1957)	494	27	5.4
Third (1962)	494	34	6.7
Fourth (1967)	523	31	5.9
Fifth (1971)	521	22	4.2
Sixth (1977)	544	19	3.4
Seventh (1980)	544	28	5.1
Eight (1984)	544	44	8.1
Ninth (1989)	529	28	5.3
Tenth (1991)	509	36	7.0
Eleventh (1996)	541	40	7.4
Twelfth (1998)	545	44	8.0
Thirteenth (1999)	543	48	8.8
Fourteenth (2004)	543	45	8.1
Fifteenth (2009)	543	59	10.9
Sixteen (2014)	543	61	11.2

Source: Election Commission of india , New Delhi.
Nots: Incluing one Nominated Member.

लोकसभा में 1952 में महिलाए 22 सीटो पर थी जो 2014 में 61 तक आ गयी है यह बृद्धि 36 प्रतिशत है। लेकिन लैगिक भेदभाव अब भी भारी मात्रा में मौजूद है और लोकसभा में 10 मे से 9 सासंद पुरूष है। 1952 में लोकसभा में महिलाओ की संख्या 4.4 प्रतिशत थी जो 2014 में करीब 11 प्रतिशत है। अब भी वैश्विक औसत 20 प्रतिशत से कम है। चुनाव में महिलाओ को टिकट न देने की नीति न सिर्फ राष्ट्रीय पार्टीयो की है बल्कि क्षेत्रिय पार्टीया भी इसी राह पर चल रही है। और इसका कारण बताया जाता उनमे जीतने की क्षमता कम होना जो चुनाव के लिए महत्वपुर्ण है। 3

अंन्तराष्ट्रीय संस्था अंतर संसदीय युनियन के 2011 के आकड़े के अनुसार राजनीति में महिलाओ की हिस्सेदारी देने के मामले में भारत 98वे नंम्बर पर है। जबकि दुनिया मेंकई पिछड़े एवं निर्धन देशो की संसद तक में महिलाओ का प्रतिनिधित्व 30 फीसदी तक ही है। इस संख्या के अनुसार भारत जैसी बड़ी आबादी वाले देश में महिलाओ की राजनीति में भगीदारी इतनी कम है कि इनसे जुड़े मुद्दो को आवाज नही मिल पा रही है। दरअसल महिलाओ में ऐसी भागीदारी का बढना सामाजिक बदलाव का द्योतक भी है। और समाज में बदलाव लाने का जरिया भी वर्ष 1917 में ही राजनीति में महिलाओ की भागीदारी को ले कर मांग उठी थी,जिसके बाद 1930 में पहली बार महिला को मताधिकार मिला । और महिला मतदाताओ की बढती जागरूकता का ही नतीजा है। कि उसका सियासी प्रतिनिधित्व बढाने के लिए सोचा जा रहा है। 4

1975 में पहली बार जब प्रतिनिधित्व के साथ महिलाओं की स्थिति को जोड़ कर देखा गया । अब महिलाओ के लिए समाज राजनीतिक अधिकारो की बात की जाने लगी इस संदर्भ में 1995 में महिला अंन्तर्राष्ट्रीय संम्मेलन विशेष रूप से उल्लेखनीय है यह

Copyright @ 2020 Authors

ISSN: 2278-4632
Vol-10 Issue-7 No. 15 July 2020

संम्मेलन चीन की राजधानी बिजिंग में आयोजित किया गया। इस संम्मेलन के मंच से विश्वस्तरीय महिला संगठनो के प्रतिनीधियो ने पुरूषो के समान राजनीतिक अधिकारो की मांग की। इस अन्तर्राष्ट्रीय महिला संम्मेलन में कई महिला सांसदो एवं अन्य सामाजिक संगठनो के माध्यम से महिलाओ ने अपनी सक्रिय सहभागिता निभाई और इन्होने सभी जन प्रतिनीधियो का ध्यान आकर्षित किया। इस प्रकार के हलचलो का प्रभाव ये हुआ कि 1995 में ही पहली बार महिला आरंक्षण से संम्बन्धित 81वाँ संवैधानिक संसोधन विधेयक संसद में पेश किया गया। लेकिन यह सांसदो की संकुचित मानसिकता ही कही जायेगी कि प्रत्येक सरकार इस विधयक को प्रस्तुत तो करती है परन्तु पारित नही करा पाती इस प्रकार भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में पुरूषो की यह संकुचित मानसिकता का परिचायक है। 5

15 वीं लोकसभा में काग्रेष सरकार के दौरे में एक बार पुनः सकारात्मक कदम आरंक्षण के संदर्भ में उठाया गया। राष्ट्रपति के संसद में दोनो सदनो के संयुक्त बैठक में घोषण की कि सरकार राज्य विघानसभाओ व लोक सभाओ में महिला आरंक्षण विधेयक को 100 दिन के भीतर पारित करने की दिशा में कदम उठाएगी। इसके साथ ही यह भी घोषणा की गयी कि पंचायतो व शहरी स्थानीय निकायो में महिला आरंक्षण 33 प्रतिशत से बढाकर 50 प्रतिशत कर दिया जाएगा। जिससे अधिक से अधिक महिलाएँ राजनीतिक सहभागिता कर सकेगी। 15 वी लोकसभा ने महिला राजनीतिक सहभागिता की दृष्टि से अनुठा उदाहरण प्रसतुत किया। यह पहला अवसर था कि 58 से अधिक महिलाएँ भारत के बिभिन्न चुनाव क्षेत्रो से चुनाव जीत कर संसद पहुची। 6

राजनीतिक सशक्तिकरण एवं महिला लैगिंक असमानता को दूर करने के लिए विधेयक राज्य सभा में रख्खा गया किन्तु यह पास नही हो पाया यद्यपि राज्य सभा में पेश किया गया विधेयक पहला प्रयास नही था बल्कि इसकी कोशिश 1984–85 के दौरान प्रधानमंत्रित्व काल में राजीव गांधी जी ने की थी। पंचायती राज संस्थाओ अन्य स्थानीय निकायो को संविधान में स्थान देने की योजना बनाते समय संसद एवं विधान मंण्डलो के लिए भी ऐसे कदम की रूपरेखा बनी लेकिन बाद में यह सफल नही रही। 7

1993 में संविधान में 73 वें संशोधन व 74 वें संशोधन के तहत पंचायत व नगर पालिकाओं में महिलाओ के लिए 33 प्रतिशत सीटे आरंक्षित की गयी। महिला आरंक्षण विधेयक 1998,99, 2002,2003 में फिर लगाया गया नतीजा वही ढाक के तीन पात। 2008 में मनमोहन सिंह सरकार ने लोकसभा और विघान सभाओ में 33 प्रतिशत महिला आरंक्षण से जुड़ा 108 वाँ संविधान संशोघन विधयक राज्यसभा में पेश किया। इसके दो साल बाद 2010 में तमाम राजनीतिक अवरोधो को दरकिनार कर राज्य सभा में यह विधेयक पास करा दिया गया। काग्रेस को बी0जे0पी0 और वाम दलो के अलावा कुछ अन्य दलो का साथ मिला। लेकिन लोकसभा में 262 सीटे होने के बावजूद मनमोहन सिंह सरकार विधेयक पारित नही कर सकी। 8

Copyright @ 2020 Authors

ISSN: 2278-4632
Vol-10 Issue-7 No. 15 July 2020

इस विधेयक को राज्यसभा में इस मकसद से लाया गया था कि अगर इस सदन से पारित हो जायेगा तो इससे इसकी मियाद बनी रहेगी। लेकिन युपीए सरकार से गलती हुई कि वह तुरंन्त इस विधेयक को लोकसभा में ले आयी सरकार को उम्मीद यह थी कि जिस तरह राज्य सभा में पास करा लिया गया वैसे ही इसे लोक सभा में पारित करा लिया जायेगा। लेकिन 2014 में 15 वी लोकसभा भंग होने साथ ही यह विधेयक भी खत्म हो गया था। इस लिए अब लोक सभा में महिला आरंक्षण के विधेयक को नये सिरे से पेश करना होगा। 9

महिला आरंक्षण विल के माग में बाधाऐं :– महिला आरंक्षण विल में मार्ग में अनेक बाधाये है जो निम्नवत है।

1– महिला आरंक्षण की एक प्रमुख समस्या यह है कि इससे परूषो का प्रतिनिधित्व घटेगा। 33 प्रतिशत महिलाऐ तो संसद एवं विधान सभाओ में पहुचेगी । इसके अलावा और महिलाये भी विधान सभाओ व संसद में पहुचेगीं इसमे पुरुषों का प्रतिनिधित्व धटेगा तथा साथ ही महिलाओ की संख्या संसद में एक तिहाई से अधिक भी हो सकती है। 10

2– महिलाओ को 33 प्रतिशत आरंक्षण देने के विरोधी दल समाजवादी दल, राष्ट्रीय जनता दल, लोक जनतात्रिक पार्ट्रीया है। ये सभी दल अल्पसंख्यको व पिछड़ो के लिए आरंक्षण की मांग कर रहे है। शरद यादव नेतो इनके विरोध में जहर तक खाने की धमकी दी है। ये सभी दल अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़े वर्ग, के लिए अलग से आरंक्षण की मांग कर रहे है। 11

3– विरोधीयो का मानना है कि संसद एवं विधान सभाओं में आरंक्षण से उन्ही लोगो को फायदा मिलेगा। जो संम्पन्न एवं कुलिन परिवार से है। दूसरे उन महिलाओ को फायदा मिलेगा जो राजनीतिक परिवारो से है। तथा जो संम्पन्न व कुलीन परिवारो से है।

4– ज्ञातब्य है कि अनुसूचित जाति व जनजाति को कोटे के साथ पर्याप्त आरंक्षण दिया गया अर्थात यदि उस तरह से आरंक्षण हुआ तो पुरूष वर्ग 50 प्रतिशत सीटो पर चुनाव नही लड़ पायेगा। ऐसे में कोई भी पुरूष सासद अपनी शीट मिली महिला को देने को तैयार नही होगा। इस प्रकार का विधेयक एक दिखावा मात्र है। दिल से कोई सासद नही चाहता कि महिलाओ को आरंक्षण दिया जाय। 12

राजनीति में महिलाओ की भागीदारी बढाने हेतु ठोस प्रयास आवश्यक है। इस संदर्भ में कुछ सुझाव दिये गये है जो निम्नलिखित है।

1– महिलाओ को आर्थिक रूप से स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भर होने की आवश्यक्ता है।
2– राजनीति में प्रवेश के लिए उनमे साहस, त्याग तथा निर्भिकता की भावना का विकाश होना आवश्यक है।

Copyright @ 2020 Authors

ISSN: 2278-4632
Vol-10 Issue-7 No. 15 July 2020

3– भारतीय सामाजिक संरचना का समानता के आधार पर गठन हो। आरंक्षण ब्यवस्था भारत के समाज की प्रकृति के अनुकूल है। पर यह आर्थिक व योग्यता के आधार पर हो।
4– शिक्षा परिवर्तन की कुन्जी है देश में बालक व बालिकाओ के लिए समान शिक्षा सुनिश्चित करना।
5– महिलाओ प्रति हो रहे अपराधो को रोकने के लिए कठोर कदम उठाया जाना चाहिए।
6– सभी राजनीतिक दलो को महिलाओ को राजनीति से जुड़ने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए।
7– देश के हर नागरिक को अपना स्वतंत्र राजनीतिक मत देने का अधिकार है। इस लिए हमे देश की महिलाओ को ऐसा माहौल देना चाहिए जिससे उनमे स्वतंत्र सोच विकसित हो वे अपनी बात बिना किसी संकोच के समाज के सामने रख सके।
8– प्रचार प्रसार, प्रेस मिडिया द्वारा सोच में परिवर्तन कर के उनमे आत्मविश्वास से आगे बढने की प्रवृति विकसित करनी चाहिए।

9- महिलाओं के पर्याप्त प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए ज़िपर सिस्टम अपनाया जाना चाहिए | स्वीडन जैसे कुछ यूरोप के देशों में ये उपाय अपनाया गया है | हर तीन उमीदवारों पर एक महिला शामिल होती है |

निष्कर्षः– आज के मौजुदा समय की जरुरत है कि देश संसद और विधान सभाओ में महिलाओं को उनके आबादी के हिसाब से 33 प्रतिशत आरंक्षण दिया जाय जिससे पंचायत व नगर पालिकाओ की तरह संसद और विधान सभाओ में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ सकें। साथ ही जरूरत है आदिवासी वर्ग की महिलाओ को अलग से कोटा दिया जाय जिससे पिछड़े व दबे कुचले वर्ग की महिलााओ को प्रतिनिधित्व मिल सके भारत की विधायिकाओ में महिलाओ को आरंक्षण दिलाने के लिए दलो को दलगत राजनीति से उठ कर महिला आरंक्षण विधेयक का समर्थन करना चाहिए क्योकि किसी भी जीवंत व मजबूत राष्ट्र के निर्माण में महिलाओ का योगदान महत्वपुर्ण है। महिलाओ की राजनीतिक भागेदारी से निसंदेह लोकतंत्र की जड़े मजबूत होगीं। तथा भारतीय लोकतंत्र राजनीतिक विकाश और आधूनिकी करण की दिशा में अग्रसर होगा।

Copyright @ 2020 Authors

ISSN: 2278-4632
Vol-10 Issue-7 No. 15 July 2020

संदर्भ सूचीः–

1– भारत की राजनीति में महिलाओ की भागेदारी https//www.youth ki awaaz.com 4 मार्च 2019
2– राजस्थान विकाश – अक्टूबर 1951 से मार्च 1992, ग्रमिण विकाश एवं पंचायती राज विभाग – अर्धवार्षिक विशेषाक।
3– मिश्रा प्रशान्त, भारतीय राजनीति में महिलाओ की भागेदारी

http//m.dalyhunt.in/news/india/hindipoorvanchalmedia e paper pmedia /bharitiy+rajniti+me+mahilao+ki+bhagedari+newsid 56223457

4– डा0 मोनिका शर्मा भारतीय राजनीति में आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वालो के लिए ये है बदलाव की बयार, https//www.jagran.com
5– अवध प्रसाद पंचायती राज में 25 वर्ष दिल्ली पृ0– 5
6– डा0 वीणा मेहता, पंचायती राज का प्रशासनिक ढाचा संदेश 1550
7– पंचायत संख्या का विकाश, प्रकाशन विभाग भारत सरकार नई दिल्ली पृ0 20

8– महिलाओ के आरंक्षण व समानता का मुद्दा https//www.drishtiias.com/hindi

9– आखिर क्यो पास नही हो पा रहा महिला आरंक्षण बिल
https//www.prabhatkhabar.com/news/1246701

10– हर्षदेव मालवीय विलेज पंचायत इन इण्डिया पृ0– 225
11– पंचायती राज संख्या का विचार, प्रकाशन विभाग, भारत समाचार नई दिल्ली पृ–35
12– अवध प्रसाद भारत में पंचायतो के 25 वर्ष पृ0 16

Copyright @ 2020 Authors